न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 58 / 2019

प्रार्थी बनाम विप्रार्थी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदड़ी

बनाम

1.अमराराम 2.केराराम 3.गमनानाथ 4.बदाराम पिसरान हेमाराम 5.मादाराम जीवाराम पिसरान सोनाराम 6.वगताराम 7.पोकरराम पिसरान सुजाराम 8.प्यारी पत्नि सुजाराम 9.छोगाराम 10.हिन्दुराम 11.विशनाराम 12.गणेशाराम पिसरान हरजीराम 13.रणजीतराम आर्यन पिसरान डूंगरराम 15.सुमित्रा पत्नि डूंगरराम ना.बा. रणजीतराम आर्यन की वली माता सुमित्रा 16.सारों बेवा हरजीराम 17.राणाराम 18. पोलाराम 19.नेनाराम पिसरान रणछोड़राम 20. पेपी बेवा रणछोड़राम 21.मोहनराम पुत्र रूपाराम 22.अतियोदेवी बेवा रूपाराम 23.विराराम पुत्र पन्नाराम जाति चौधरी निवासी राखी तहसील समदड़ी व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।

2. एकतरफा–विप्रार्थीगण

आदेश

दिनांक– 16.8.19

1.संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम राखी के खाता संख्या 9,337,380,360,421 खसरा संख्या 1885/700 ,1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 क्रमशः रकबा 1–17,7–10,1–18,1–17,1–18 बीधा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शें लटढा में उक्त खसरा नम्बर अनुसार तरमीम नहीं होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटढा नक्शें में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा मूल खसरा नम्बर 700 से विभक्त होकर बने खसरा नम्बर को विलोपित करते हुए मूल खसरा नम्बर 700 एकल कायम करवानें हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।

2.प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील होने के उपंरात भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। .

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

3.प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैण्ड मोड्राईजेश प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटढा मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम राखी के खाता संख्या 9,337,380,360,421 खसरा संख्या 1885/700 , 1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 कमशः रकबा 1–17 ,7–10 , 1–18,1–17,1–18 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शें लटढा में उक्त खसरा नम्बर अनुसार तरमीम नहीं हो रखी है। कि उक्त खसरा ग्राम राखी की आबादी भूमि के पास होने से खातेदारों ने अपने अपने आवासीय मकान बना रखें है। इस कारण मौके की स्थिति के अनुसार तरमीम की जानी संभव नहीं है। उक्त मूल खसरा संख्या 700 का पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालोतरा में बंटवाड़ा करवाया गया। लेकिन बंटवाड़ा आदेश उपलब्ध नहीं हो रहा है एवं ग्राम विकास शिविर सिवाना में दिनांक 02.7.1993 को पारित बंटवाड़ा आदेश के साथ नक्शा उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण बिना बंटवाड़ा नक्शें के तरमीम की जानी संभव नहीं हो रही है। आगे ओर कथन किया कि भू राजस्व नियम 1957 के नियम 68 में पुनः पहले वाली स्थिति में लाये जाने पर ही खसरा संख्या 700 मौकेनुसार अपडेट किया जा सकेगा। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मूल खसरा संख्या 700 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 1885/700 , 1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 700 मूल ही कायम किये जाने का आदेश फरमावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

5. हमनें प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिर्पोट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यो पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि मौजा राखी तहसील समदड़ी के मूल खसरा संख्या 700 का बंटवाड़ा होने पर वर्तमान राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) खाता संख्या 9,337,380,360,421 खसरा संख्या 1885/700,1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 कमशः रकबा 1–17 ,7–10 , 1–18,1–17,1–18 बीधा दर्ज है। लेकिन राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) के अनुसार राजस्व नक्शा लटढा में उक्त खसरा नम्बर अनुसार तरमीम नहीं हो रखी है। वर्तमान नक्शा लटढा में मूल खसरा संख्या 700 ही कायम है,जबकिं बंटवाड़ा में पड़े बटटा नम्बर के अनुसार लटढा नक्शा में तरमीम की जानी चाहिए थी,लेकिन न होने के कारण जमांबदी व नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं हैं,जबकि सेग्रीगेशन प्रोग्राम के तहत राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) व नक्शा लटढा में एकरूपता होने पर ही सेग्रीगेशन का कार्य किया जाना संभव हो पायेगा। लेकिन विवादित भूमि में ऐसा नहीं है। तहसीलदार समदड़ी ने अपनी रिर्पोट में स्पष्ट अंकन किया है,कि उक्त खसरा ग्राम राखी के आबादी भूमि के पास होने से खातेदारो ने अपने अपने आवासीय मकान खसरा संख्या 700 के अलग अलग हिस्सों में बेतरतीब बना रखें है। मौक पर किसी भी खातेदार का जमाबन्दी अनुसार अलग अलग स्पष्ट कब्जा नहीं है,और आवासीय मकानों की वजह से खसरा संख्या 700 में बंटवाड़ा अनुसार तरमीम किया जाना सम्भव नहीं हैं और मूल खसरा संख्या 700 का बंटवाड़ा नक्शा भी उपलब्ध नहीं हैं,इस कारण मूल खसरा संख्या 700 से विभक्त होकर बने नये खसरा नम्बर विलोपित करते हुए पूर्व की स्थिति बहाल करने पर ही जमाबदी व नक्शा लटढा में एकरूपता होगी। इस प्रकार उक्त भूमि के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

जमाबंदी अनुसार लटढा नक्शा में तरमीम दर्ज नहीं है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितबद्व काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहें। इस कारण उक्त भूमि के जमाबंदी में अंकित मूल खसरा संख्या 700 से विभक्त होकर बने नये खसरा नम्बर विलोपित करते हुए नक्शा लटढा के अनुसार खसरा संख्या 700 जमाबंदी में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है,एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं तहसीलदार समदड़ी में भी जमाबंदी में दुरूस्ती किये जाने की अभिशंषा की गई है। कुछ विप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन के संबध में सहमति पत्र पेश किया गया। जिसमें स्वीकार किया गया कि हमारे नक्शा लटढा (जमाबंदी) के अनुसार जमाबंदी में मूल खसरा नम्बर अंकित किये जाते है,तो हमें कोई आपर्ति नहीं हैं। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थी को प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जानें की मौन स्वीकृति है। उपयुर्क्त विवेचन से स्पष्ट है,कि आवेदित प्रकरण में खसरा नम्बर 1885/700,1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 विलोपित करते हुए मूल खसरा संख्या 700 कायम किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

6.लिहाजा सी.पी.सी.151 में प्रदत शक्तियों व भू राजस्व नियम 1957 के नियम 68 में प्रदत शक्तियों एवं राज्यहित की भावना को मददेनजर रखते हुए प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम राखी तहसील समदड़ी खसरा संख्या 1885/700,1882/700,1886/700, 1884/700 ,1883/700 कमशः रकबा 1–17 ,7–10 , 1–18,1–17,1–18 बीधा कुल रकबा 15 बीधा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

विलोपित करते हुए मूल खसरा संख्या 700 रकबा 15—00 बीधा किस्म मगरा लगान 7—35 अमराराम केराराम गमनाराम बदाराम पिसरान हेमाराम कौम चौघरी सा.देह खातेदार 1/8 हिस्सा रहन—एस.बी.बी.जे.शाखा मोकलसर में अमराराम का हि. दर्ज,मादाराम जीवाराम पिसरान सोनाराम वगताराम पोकरराम पि.सुजाराम प्यारी पत्नि सुजाराम छोगाराम हिन्दुराम विशनाराम गणेशाराम पिसरान हरजीराम सारों बेवा हरजीराम कौम चौधरी,रणजीतराम आर्यन पि.डूगरराम सुमिता पत्नि डूंगरराम ना. बा.रणजीतराम आर्यन की वली माता सुमित्रा 1/2 हिस्सा,राणाराम पोलाराम नेनाराम पिसरान रणछोड़राम पेपी बेवा रणछोड़राम कौम चौधरी 1/8 हिस्सा,मोहनराम पुत्र रूपाराम मु.अतियोदेवी बेवा रूपाराम कौम चौधरी 1/8 हिस्सा,विराराम पुत्र पन्नाराम कौम चौधरी 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है,कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

आदेश आज दिनांक 16·08·19 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना

उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Seervi
Date: 2019.12.11 17:16:26 IST
Reason: SelfAttested
Location: